उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–3105/11–2004–500(15)–2004–टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 16 जून, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–201

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) के उपखण्ड (छः) के अधीन निन्यानवे वर्ष की अवधि के लिए पट्टे की लिखतों, जब वे उत्पादन (नवीन क्षमता और आर एवं एम) पारेषण और वितरण में संबंधित ऐसी परियोजनाओं में जहां उत्तर प्रदेश राज्य में 31 मार्च, 2009 तक की नीति अवधि के भीतर कुल पूंजीगत निवेश एक हजार करोड़ या उससे अधिक हों, निजी निवेशक कंपनी के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2004 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति, 2003 के अधीन निष्पादित की गयी हो, के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

टिप्पणी :– इस आदेश के अधीन छूट केवल ऐसे प्रमाण–पत्र पर अनुमन्य होगी जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो उस विभाग के विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, उपर्युक्त परियोजना में एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश के लिए निजी निवेशक कम्पनी को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करते हुए जारी किया गया हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. K.N.-5-3105/XI-2004-500(15)-2004-T.C., dated June 16, 2004 for general information:

No. KN.-5-3105/XI-2004-500(15)/2004-T.C.
Lucknow, Dated June 16, 2004
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) the Governor is pleased to remit the stamp duty chargeable in respect of the instruments of lease for a period of ninety nine years under sub-clause (vi) of clause (a) of Article 35 of shedule 1-B when executed under Uttar Pradesh power policy, 2003 as amended in 2004 by the Government of Uttar Pradesh in favour of the private investor company in prijects relating to Generation (new capacity and R & M) Transmission and Distribution where the aggregage capital investment within the policy period up to March 31, 2009 is rupees ine thousand crore or more in the state of Uttar Pradesh.

Note:- The remission under this order shall only be admissible on the certificate issued to the private investor company for investment or rupees one thousand crore or more in the aforesaid project by the Principal Secretary, Department of Energy, Government of Uttar Pradesh or an officer authorized by him not below the rank of Special Secretary of that department under intimation to the Principal Secretary. Tax and Registration Department, Government of Uttar Pradesh.

By order,
sd/- Illegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.